जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 47 संख्याः 216 प्रभात कोटा, शुक्रवार 20 मई, 2022 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

जैसे-जैसे वन्यजीव पर्यटन बढ़ा है, पर्यटकों में वन्यजीवों के करीब जाने की प्रवृति भी बढ़ी है। मलेशिया में तो पर्यटक मोटर बोट्स पर चढ़कर नदी किनारे रहने वाले प्रोबॉस्कस (प्रोबॉसस) बंदरों के बिल्कुल करीब जाने का प्रयास करते हैं। पर्यटक तो लुत्फ उठाते हैं लेकिन इस दखलंदाजी से बंदर परेशान हो जाते हैं। मुख्य शोधकर्ता, ब्रिटेन की युनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की मारियाना डाविला- रॉस कहती हैं कि ''वर्षा वनों में मोटर बोट के सहारे प्राइमेट इकोटूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है, इसमें मलेशिया भी शामिल है। हमने शोध में यह जानने का प्रयास किया है कि मोटर बोट्स का इन जंगली वानरों पर किस हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, खासकर प्रोबॉस्कस वानरों पर, क्योंकि अभी तक भी इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है।'' शोधकर्ता लिखते हैं कि ''पर्यावरण में मनुष्य की वजह से होने वाले परिवर्तनों के कारण वानरों व अन्य जानवरों की तरफ इंसानों की पहुंच कायम रहेगी जिससे उनके अस्तित्व के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी। पर्यटन क्षेत्र में इकोटूरिज़्म तेजी से बढ़ता सैक्टर है। इसमें पर्यटक जानवरों के बहुत करीब जाते हैं, जिससे जानवरों में रोग संक्रमण तथा कॉर्टिसॉल (तनाव संबंधी रसायन) बढ़ने का खतरा हो जाता है। विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने मलेशिया के सबाह राज्य में नदियों के किनारे रह रहे प्रोबॉस्कस बंदरों के 6 समूह बनाए। हरेक समूह में एक नर व कुछ मादाएं थीं। शोधकर्ताओं ने लोअर किनाबातांगन वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में किनाबातांगन नदी के समीप रह रहे वानरों पर शोध किया। वहां लगभग दो से तीन हज़ार वानर हैं। शोधकर्ता मोटर बोट में सवार होकर तीन अलग-अलग रफ्तारों व दूरी से वानरों के पास पहुंचे, फास्ट क्लोज़, स्लो क्लोज़ और स्लो फार। उन्होंने, तीनों स्थितियों में, नौका के आने से पहले बंदरों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार की तुलना नौका पास आने पर उनके व्यवहार से की। उन्होंने देखा कि फास्ट क्लोज़ व स्लो क्लोज़ स्थिति में बंदर नौका को घूर रहे थे, पीछे हटकर पत्तों के पीछे छिप रहे थे और लगातार खुजा रहे थे। इन स्थितियों में उनका तनावजनित व्यवहार ज्यादा देर तक चला। इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ प्राइमटॉलजी में छपे शोध में डाविला रॉस कहती हैं कि, ये नतीजे पक्षियों व समुद्री स्तनपायी जीवों पर हुए शोध के नतीजों जैसे ही हैं, जो कहता है कि तेज आवाज वाली नौका के पास आने पर स्ट्रैस होना सर्वव्यापी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह स्थिति जानवरों को खतरे जैसी लगती है। यह पहला शोध है जो दर्शाता है कि मोटरबोट करीब आने पर बंदर भी तनावग्रस्त हो जाते हैं।

'गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध, अमीर देशों की जमाखोरी रोकने के लिये है'

'कोविड-19 के समय अमीर देशों ने वैक्सीन की भारी जमाखोरी की, जिससे अमीर देशों के पास आवश्यकता से अधिक वैक्सीन थी, जबकि गरीब देशों को प्रारंभिक डोज़ भी नहीं लगी थी'

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय का सुदृढ़ बचाव करते हुए और अमेरिका तथा जी-7 देशों की सीधी आलोचना का जवाब देते हुए भारत ने खाद्यान्नों की जमाखोरी व खाद्यान्न की कीमतों में ''अनुचित वृद्धि'' व भेदभाव को लेकर चिंता प्रकट की है। भारत ने पश्चिमी देशों को सावचेत किया है और जताया कि खाद्यान्न मुद्दे का हश्र कोविड-19 वैक्सीन्स के जैसा नहीं होना चाहिए, जिसमें गरीब देशों ने शुरूआती डोज़ के लिए भी संघर्ष किया, जबकि अमीर देशों के पास वैक्सीन के जरूरत से अधिक डोज़ थे।

''ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन'' विषय पर आयोजित मंत्रिस्तरीय मीटिंग में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने भारत की आशंकाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मई माह के लिए अमेरिकी अध्यक्षता के अधीन इस मीटिंग की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एन्टनी ब्लिंकन ने की।

मुरलीधरन ने कहा कि गेहूं निर्यातों को प्रतिबंधित करने का भारत का निर्णय इसकी सर्वाधिक जरूरतमंद तक

- **भारत के विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने यू.एन.ओ. की बैठक में गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध को पुरज़ोर ढंग से सही ठहराया। बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिन्कन कर रहे थे।**
- **''प्रतिबंध से भारत अपनी ''फूड सिक्युरिटी' के अलावा पड़ोसी देशों की तथा निर्धन देशों की आवश्यकता पूरी करना चाहता है। ''ओपन मार्केट'' का मकसद कुछ अमीर देशों की असमानता को पनपाना नहीं है।''**

''वास्तविक'' पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि ''कम आय वाले कई समाज आज बढ़ती कीमतों और खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यहां तक कि खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक रखने वाले भारत जैसे देश भी खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि देख चुके हैं। स्पष्ट है कि जमाखोरी और सट्टेबाजी अपना काम कर रही है। हम इसे बिना चुनौती दिए नहीं रह सकते।''

उन्होंने कहा कि ''हमारी स्वयं की खाद्य सुरक्षा तथा पड़ोसी एवं अन्य कमजोर विकासशील देशों की जरूरतों में सहयोग देने के लिए हमने गेहूं निर्यात को लेकर गत 13 मई को कुछ उपायों की घोषणा की थी।''

मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी उचित भूमिका निभाएगा और इस तरीके से कार्य करेगा जिसमें साम्य व करूणा हो तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता हो।

मुरलीधरन ने कहा कि ''हम भारी कीमत चुकाकर पहले ही यह देख चुके हैं कि इन सिद्धांतों की कोविड-19 वैक्सीन्स के मामले में किस प्रकार अनदेखी की गई।'' उन्होंने आगे कहा कि जब बात खाद्यान्न की हो तो सभी देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे ''साक्य'' क्रम सामर्थ्य और ''खाद्यान्न तक पहुंच'' के महत्व को उचित प्रोत्साहन दें।''

मुरलीधरन ने मुश्किल समय में अपने सहयोगियों की मदद करने के भारत के ''ट्रैक रिकॉर्ड'' का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी व यूक्रेन युद्ध सहित वर्तमान संघर्षों के बीच भी देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं रही है।

उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार) तथा पड़ोस पहली प्राथमिकता के संस्कारों पर चलते हुए हम हमारे पड़ोसियों की सहायता करना जारी रखेंगे और उनके कठिन वक्त में उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।''

भारत ने झुलसा देने वाली गर्मी के कारण गेहूं की कमी के बीच उसकी ऊंची कीमतों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से गत 13 मई को इसके निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

केन्द्र सरकार के अनुसार इस आदेश से तीन प्रमुख उद्देश्य सधे। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई को नियंत्रित करना, खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहे अन्य देशों की मदद करना और एक सप्लायर के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बनाए रखना।

तथापि डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डी.जी.एफ.टी.) ने इस निर्णय को अधिसूचित करते हुए गत सप्ताह कहा था कि केन्द्र सरकार की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'शिवाजी की भूमि पर, औरंगाबाद में औरंगज़ेब की कब्र की क्या आवश्यकता है'

राज ठाकरे व पूर्व मु.मंत्री देवेन्द्र फड़णविस द्वारा यह मुद्दा उठाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगज़ेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ायी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। औरंगाबाद स्थित सम्राट औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र की राजनीति का नया केन्द्र क्यों बन गया है?

राज्य विधानसभा में सर्वाधिक विधायक होने के बावजूद, सरकार बनाने में असमर्थ रहने की निराशा के दंश से पीड़ित भाजपा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एम.वी.ए. (महाराष्ट्र विकास अघाडी) सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार करती आ रही है। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित केस में मुम्बई पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों के बाद, अंबानी के आवास के पास, एक कार में विस्फोटक पदार्थ

- **जब से तेलंगाना के विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी ने कब्र पर जाकर सम्मानपूर्वक फूल चढ़ाये, यह कब्र एक राजनीतिक मुद्दा बन गयी है।**

पाये जाने के प्रकरण में हुई जांच-पड़ताल के सिलसिले में, केन्द्रीय एजेंसियां अलग-अलग तरीके से राज्य सरकार को घेरती दिखाई दीं। औरंगजेब के स्मारक से संबंधित विवाद के चलते, भाजपा को ठाकरे सरकार को परेशान करने का एक और अवसर मिल गया है। इस मकबरे ने उस समय एक राजनैतिक विवाद का रूप ले लिया, जब तेलंगाना विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी इस क्रब्र के प्रति अपना आदर-सम्मान प्रकट करने के लिय यहाँ आया। इस घटना ने राज ठाकरे की एम.एन.एस. तथा भाजपा को उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलने का अवसर दे दिया। जब महाराष्ट्र सरकार ने इस मकबरे की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी तो एम.एन.एस. तथा भाजपा नेताओं ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल खड़े किये। एम.एन.एस. प्रवक्ता गजानन काले ने कहा, ''छत्रपति शिवाजी की भूमि पर औरंगज़ेब की कब्र की जरूरत क्या है? इस मकबरे को ध्वस्त कर दो। बाला साहेब ने भी यही कहा था।'' वरिष्ठ भाजपा नेता प्रसाद लाल ने प्रश्न किया, ''क्या बाला साहेब ठाकरे का हिन्दुत्व यही है? या फिर यह शरद पवार और सानिया गांधी का हिन्दुत्व है? औरंगज़ेब ने मंदिर नष्ट कर दिये थे। जब तक यह मकबरा ध्वस्त नहीं कर दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे।'' वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा: ''बाला साहेब को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ होता कि उनके पुत्र के शासनकाल में, हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह हो जायेगा तथा औरंगजेब के मकबरे पर जाना एक अनुष्ठान (प्रोटोकॉल)।

औरंगजेब का मकबरा भी मुगलकाल के उन 4000 स्मारकों में शामिल है, जो ए.एस.आई. संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। ये स्थल 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।

'घर-घर राशन नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आप सरकार की घर-घर राशन पहुँचाने की उस योजना को रद्द कर दिया, जिसका मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बड़ी धूमधाम से प्रचार-प्रसार किया था तथा

- **दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बहुप्रचारित, राशन की होम डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी। ये आदेश दिल्ली सरकारी राशन संघ की याचिका पर दिए गए।**

कहा था कि सरकार के इस कदम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा की जाने वाली राशन के सामान की काला बाजारी रुक जायेगी। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के एक दिन बाद आया है, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के न्यायालय को आगे सुनवाई से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब वह शुक्रवार को दोपहर 3 बजे इस ''ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण'' की स्वयं सुनवाई करेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी की अदालत, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद केस विचाराधीन हैं, से गुरुवार को कह दिया कि इस मामले में आगे की कोई कार्यवाही न करे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उसे अपने हाथ में ले रहा हैं। अब इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को अपरान्ह 3 बजे होगी।

न्यायमूर्ति डॉ.डी.वाई. चन्द्रचूड एवं पेमिदिघंतम श्री नरसिम्हा की बैंच ने यह निर्णय उस समय लिया, जब बैंच की जानकारी में यह बात लाई गई कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन, जो वाराणसी की अदालत में हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बुधवार को

- **बनारस के न्यायालय द्वारा गठित कमीशन ने तीन दिन, 14, 15, 16 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करके, अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में बनारस के न्यायालय को 19 मई को सौंपी।**

ही अस्पताल से ठीक होकर घर आ गये हैं। ज्ञातव्य है कि वे पिछली तारीख को अस्वस्थ थे।

अदालत द्वारा नियुक्त उस आयोग ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी अदालत में पेश कर दी। इस आयोग को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वरिष्ठ वकील आयुक्त विशाल सिंह ने भी अदालत को तीन बॉक्स सौंप दिये हैं जिनमें से प्रत्येक में सर्वे के अलग-अलग दिनों-14, 15 तथा 16 मई को की गई वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हैं।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले अधिकारियों को आदेश दिये थे कि वे इस कॉम्पलेक्स के उस स्थान की विशेष सुरक्षा रखें, जहाँ एक शिवलिंग मिला बताते हैं। इसके अलावा अदालत ने लोगों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिद्धू को जेल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिकेटर से सुप्रसिद्ध टी.वी. हस्ती तथा उसके बाद राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू (58) को गुरुवार को एक वर्ष के कठोर कारावास का दंड दे दिया। यह सजा उन्हें 34 साल पुराने एक सडक हादसे केस में दी गई

- **कांग्रेस नेता और टी.वी. की चर्चित हस्ती नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई।**

है। सिद्धू के लिये यह दूसरा आघात है। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जबरदस्त हार होने के बाद, पार्टी ने उन्हें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया था।

लेकिन, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर तथा एस.के. कौल की बैंच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1948 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद श्रीलंका विदेशी ऋण चुकाने में असमर्थ रहा

ये ऋण अप्रेल में देय हो गये तथा श्रीलंका को एक माह का ''ग्रेस पीरियड'' मिला, वह भी गुरूवार को खत्म हो गया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। बढ़ती वैश्विक महंगाई, यूक्रेन युद्ध की अनिश्चितता और खासतौर पर यू.एस. फैडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना के कारण भारत में भी वित्तीय संकट की आहट सुनाई दे रही है।

गुरूवार को इन्टर- डे ट्रेडिंग के दौरान भारतीय करेंसी एक डॉलर की तुलना में सबसे कम 77.72 रूपए रही। भारतीय करेंसी को आर्थिक सुधारों के बाद वर्ष 1992 के दौरान अन्य करेन्सीज़ की तुलना में परिवर्तनशील होने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद यह उसकी एक ऐतिहासिक गिरावट है।

आज शेयर बाजार में भी करीब 2.6 प्रतिशत की जबर्दस्त गिरावट रही और एक ही दिन में अनुमानतः निवेशकों का 7 लाख करोड़ रुपया डूब गया। यह पिछले दो माह में हुई सर्वाधिक गिरावट है।

- **पर, ऋण नहीं चुकाना कई बार देश के लिये वरदान भी साबित होता है। जैसे 1991-92 में भारत लगभग ऐसी ही, श्रीलंका जैसी स्थिति में था।**
- **पर, फिर इस झटके के बाद भारत ने इकॉनमी को खोलने का साहसिक निर्णय लिया तथा उदारवादी नीति जैसे कई ठोस निर्णय लिये और भारत की इकॉनमी फिर से उठ खड़ी हुई थी।**
- **क्या श्रीलंका भारत के उदाहरण का अनुसरण कर सकेगा, क्योंकि परिस्थिति में थोड़ा फर्क है। श्रीलंका ने चीन के सस्ते ऋण के लालच में कई अतिमहत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट्स हाथ में ले लिये थे। ये प्रोजैक्ट या तो पूरे नहीं हुए और पूरे हो भी गये तो उन प्रोजैक्ट्स से वो आर्थिक लाभ नहीं हुआ, जिसका सपना दिखाया गया था।**

पड़ोस में भी आर्थिक संकट है। भारत का पड़ोसी एवं आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने गुरूवार को ऋणों की वार्षिक अदायगी में आधिकारिक चूक कर दी। इस देश को अपने परिपक्व कर्जों के भुगतान करने थे, जिसमें वह चूक गया। यह पहली बार है, जबकि श्रीलंका अपनी भुगतान बाध्यताओं में विफल रहा है और वर्ष 1948 में मिली स्वतंत्रता के बाद उससे इस संबंध में पहली बार चूक हुई है।

भुगतानों को लेकर श्रीलंका की चूक वास्तव में अनदेखी नहीं थी और वित्तीय बाजारों को ऐसा होने की उम्मीद थी। इससे पहले जब राजपक्षे भाईयों की पूर्ववर्ती सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, तब देश के वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि श्रीलंका 12.6 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं होगा।

एक तरह से यह एक अविचारित चूक थी क्योंकि जब ऋण अप्रैल माह में ही परिपक्व हो गए थे तब वह बकाया भुगतान में शुरू में ही चूक गया था। इस देश ने अपने पेमेन्ट्स का ग्रेस पीरियड भी गुरूवार को खो दिया।

श्रीलंका को वर्तमान आर्थिक संकट पर पार पाने के लिए करीब 4 बिलियन डॉलर के ऋण की तुरंत आवश्यकता है। बैंक ऑफ सीलोन के गवर्नर ने कहा कि चूंकि अब एक नए प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिमण्डल है, इसलिए देश में कुछ करने की उम्मीद जगी है। नए वित्त मंत्री एक लघु अवधि में बेल आउट के कुछ समझौतों पर साइन करने की स्थिति में होंगे।

फायनैंशियल मार्केट्स के कुछ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जी.एस.टी. लॉ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (जी.एस.टी.) व्यवस्था पर असर डालने वाले एक बड़े निर्णय के अन्तर्गत, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला दिया कि जी.एस.टी. काउंसिल के निर्णय केवल अनुशंसात्मक

- **सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर कहा कि, केन्द्र व राज्य अपना-अपना जी. एस. टी. लॉ बना सकते हैं, जी. एस. टी. काउन्सिल के फैसलों को मानना जरूरी नहीं है।**

हैं, बाध्यकारी नहीं, क्योंकि संसद तथा राज्य विधायिकाओं को भी जी.एस.टी. पर कानून बनाने के समान अधिकार प्राप्त हैं। ''मोहन पैरा मिनरल्स'' के केस में समुद्री परिवहन से संबंधित मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)